तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14/02/24 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

14/02/24 पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के वकीलों से पत्रावली पर बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखवाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जावे हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 227/2023

प्रार्थीगण :–

1. नरसीराम पुत्र करनाराम
   जाति कलबी निवासी ईटादा तहसील चितलवाना जिला सांचोर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र तगाराम
   जाति भील निवासी नगर तहसील गुड़ामालानी
2. कांतीलाल पुत्र दलीचंद
3. भंवरलाल पुत्र दलीचंद
4. भीखचंद पुत्र दलीचंद
5. श्रीपालकुमार पुत्र दलीचंद
   जाति महाजन निवासी नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. मिसरीमल पुत्र शिवपाल जाति ओसवार निवासी नगर
7. जवाहरनाथ पुत्र मिश्रनाथ जाति स्वामी निवासी जालीखेडा तहसील गुड़ामालानी
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 14.02.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा शेष विप्रार्थीगण बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

हमने दोनों पक्षों की पत्रावली पर बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा नया नगर पटवार हल्का नगर के खेत खसरा नम्बर 914/728, 915/728 रकबा कमशः 0.3950, 0.4144 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Kalbi

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा नया नगर पटवार हल्का नगर के खेत खसरा नम्बर 914/728, 915/728 रकबा कमशः 0.3950, 0.4144 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक, नगर को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15/2/25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी